32

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्षः— श्री एस0 एस0 अली
सदस्य

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1121—तीन/2016 के विरूद्ध पारित आदेश दिनांक 10—12—2015 के द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के प्रकरण कमांक 11/अपील/2014—15.

.....

1—लक्षमी बाई ब्राहम्ण पति स्व0 श्री बीरबल तिवारी
निवासी पुलिस लाईन चिंटू डेयरी के पास
शहडोल तहसील सोहागपुर थाना व जिला
शहडोल म0प्र0

——— आवेदक

विरूद्ध

1—धनेश्वर जायसवाल पिता स्व0 श्री गौरी शंकर
निवासी ग्राम कोनी वाड्र नं0 31 तहसील सोहागपुर
थाना व जिला शहडोल म0प्र0

——— अनावेदक

.....

श्री सुनील सिंह जादौन, अभिभाषक, आवेदक
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक, अनावेदक

.....

आदेश

(आज दिनांक 04-04-18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10—12—2015 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू—राजस्व संहिता 1959

(संक्षेप में आगे जिसे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है ।

2–प्रकरण का विवरण संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सोहागपुर की आराजी खसरा नं0 2054 रकवा 0.62 एकड़ 2055 रकवा 1.29 एकड़ कुल किता 2 रकवा 1.91 एकड़ भूमि कार भूमि स्वामी रघुनंदन कलार था जो फौत हो चुका हैं उसके वारिस पुत्र होकर पिता रघुनंदन द्वारा 3000 रू में लक्ष्मीबाई पुत्री राममनोहर को विक्रय किया था विक्रय पत्र के आधार पर राजस्व निरीक्षक सोहागपुर के द्वारा दिनांक 30.5.79 को नामांतरण आदेश पारित किया इस आदेश के विरूद्व धनेश्वर जायसवाल द्वारा अपील अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर को प्रस्तुत की गयी, जो अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर द्वारा अपील को समय सीमा के बाहर पाते हुये दिनांक 27.3.14 को निरस्त कर दी । इस आदेश के विरूद्व धनेश्वर जायसवाल द्वारा द्वितीय अपील अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के समक्ष प्रस्तुत की गई, जो पारित आदेश दिनांक 10.12.15 से स्वीकार की गई। इसी आदेश से दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3– निगरानी मेमों में उठाये गये बिन्दुओं पर उभय पक्ष के अधिवक्तागण के तर्क सुने तथा प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अध्ययन किया गया।

4– आवेदक अधिवक्ता ने तर्को में बताया है कि आवेदिका द्वारा भूमि विक्रय पत्र से क्रय की गई थी तत्पश्चात् नामांतरण स्वीकार हुआ था इस आदेश के विरूद्व विक्रेता और उसके वारिसो द्वारा कोइ अपील नहीं की गयी है अनावेदक धनेश्वर जायसवाल का उक्त भूमि में कोई हित नहीं है किन्तु उसके द्वारा अधिक समय पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर को अपील प्रस्तुत की गयी थी जो आदेश दिनांक 27.03.14 से निरस्त की गई थी । ऐसी स्थिति में उपरोक्त तथ्यों पर विचार किये

बिना जो आदेश अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा पारित किया गया है अपास्त किया जाये एवं वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5–अनावेदक अधिवक्ता की ओर से बताया गया है कि वर्तमान प्रकरण में अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश दिनांक 10.12.15 पारित किया गया है जो अपने स्थान पर विधिवत् एवं सही है क्यों कि राजस्व निरीक्षक द्वारा अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर नामांतरण किया गया है जबकि 100/– रूपये से अधिक मूल्य की भूमि का संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 54 के अन्तर्गत पंजीकृत होना अनिवार्य है, ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश अधिकारिता रहित है जिसे अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा निरस्त किया है ऐसी स्थितत में वर्तमान निगरानी निरस्त किये जाने एवं अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल के आदेश को स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6–अधिवक्ता द्वारा किये गये तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालयों के उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विचारण न्यायालय राजस्व निरीक्षक सोहागपुर द्वारा अपंजीकृत विकय पत्र के आधार पर नामांतरण किये जाने का अधिकार राजस्व निरीक्षक को नहीं है क्यों कि भूमि का विकय 3,000/–रूपये में किया है जबकि 100/– रूपये अधिक मूल्य की भूमि विकय किये जाने की दशा में संपत्ति अन्तरण अधिनियम के प्रावधान लागू होंगे उक्त प्रावधान के अनुसार 100/– रूपये से अधिक मूल्य की भूमि विकय किये जाने की दशा में पंजीकृत होना आवश्यक है। इस संबंध में संपत्ति अधिनियम की धारा 54 से स्पष्ट है, ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक द्वारा अपंजीकृत विकय पत्र के आधार पर जो नामांतरण आदेश किया है

वह अधिकारिता रहित आदेश से परिसीमा को कोई प्रश्न उत्पन्न नहीं होता इस संबंध में 1982 आर0 एन0 417, 1984 आर0 एन0 243, 1994 आर0 एन0 302 में स्पष्ट किया गया है कि परिसीमा का प्रश्न आदेश अधिकारिता रहित ऐसा आदेश किसी भी समय आक्षेपित किया जा सकता है परिसीमा का वर्जन नहीं है ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी सोहागपुर का आदेश विधिवत् एवंउचित नहीं है। इस संबंध में विधि एवं प्रकिया की सही विवेचना कर जो आदेश अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा पारित किया गया है उसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई वैधानिक कारण नहीं है।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी आधार हीन होने से निरस्त की जाती है तथा अपर आयुक्त शहडोल संभाग शहडोल द्वारा प्रकरण कमांक 11/अपील/2014–15 में पारित आदेश दिनांक 10.12.15 उचित होने से स्थिर रखा जाता है।

(एस0 एस0 अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर